

खर व
हकाम
री हुआ

फर्द अहकाम




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

गोविंदा

बनाम राजाधारा अलवर

प्रकरण सं. 1/79/2023

तारीख रजू. 23.01.2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
11.4.23	<p>पत्रावली उत्तर हुई। पत्रावली वाले अर्ज उभरे नही माल गोविंदा को पत्र जारी हो। पत्रावली वाले अर्ज उभरे नही माल रंग साहयणी उभरे 14.5.23 को पलछे।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज० </p>	
14.5.23	<p>पत्रावली उत्तर हुई। पत्रावली वाले अर्ज उभरे नही माल गोविंदा को पत्र जारी हो। पत्रावली वाले अर्ज उभरे रंग साहयणी उभरे 4.6.23 को पलछे।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज० </p>	
04.6.2023	<p>पत्रावली उत्तर हुई। वहील व उनके पक्षी अनुपस्थित। वहील व उनके पक्षी को जाट-जाट आवाज लगवायी गई। इसके बाद वहील व उनके पक्षी अस्थिरता से आये। अतः दावा वहील व उनके पक्षी को अफ्फ फेरवी - अफ्फ दाखिली में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरवी अफ्फ फेरवी बन्दर से पत्र है। जाट तकमील दाखिली दाखिल है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज० </p>	